

सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (xiii)

मैनुअल संख्या-13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के
प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियों बरती गयी हैं, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583-ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें।

मैनुअल-13

1. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायत, परमिट या प्राधिकरण

ब्रिडकुल को किसी भी संस्था अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कोई भी रियायत नहीं प्रदान की जाती है परन्तु विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आवश्यक परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति, स्वीकृति समय समय पर प्राप्त की जाती है।

2. दी गई प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए

ब्रिडकुल द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आवश्यक परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति, स्वीकृति समय समय पर प्राप्त की जाती है। जिसमें प्रमुख रूप से लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, नगर निगम, विद्युत विभाग, MDDA आदि हैं।

(क) पात्रता मानदंड

सम्बन्धित विभाग में प्रचलित नियमों के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार ही कोई रियायत अथवा अनुमति हेतु आवेदन किया जाता है।

(ख) रियायत / अनुदान और / या प्राधिकरणों के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया

सम्बन्धित विभाग में प्रचलित नियमों के आधार पर निर्धारित पात्रता के अनुसार ही कोई रियायत अथवा अनुमति हेतु आवेदन किया जाता है।

(ग) रियायतें/परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता

- लोक निर्माण विभाग,
- वन विभाग,
- नगर निगम,
- विद्युत विभाग

(घ) रियायतें / प्राधिकरण परमिट प्रदान करने की तिथि

परियोजनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर समय अनुसार परमिट प्राधिकरण/ रियायत हेतु अनुमति प्राप्त की जाती है।